



Neutral Citation-2026: AHC:21554

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट – सी संख्या – 3271 वर्ष 2026

योगेंद्र प्रसादयाचिकाकर्ता
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : शीतला प्रसाद पांडे

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडेया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और अभिलेख का अवलोकन किया।

2. यहाँ पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, निजी प्रतिवादियों को नोटिस देने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हालाँकि, यदि निजी पक्ष इस आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो आदेश में संशोधन/बदलाव की मांग करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, धनघटा, जिला संत कबीर नगर को निर्देश दिया जाए कि वे केस संख्या T2024176550105696 (योगेंद्र प्रसाद बनाम ग्राम पंचायत) में दायर दिनांक 17.09.2025 के रिकॉल आवेदन पर शीघ्रता से निर्णय लें।

4. यह मामला प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष लंबे समय से लंबित है और काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 2, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, धनघटा, जिला संत कबीर नगर, उपर्युक्त मामले में दायर रिकॉल आवेदन पर कानून के पूर्ण अनुपालन में अत्यंत शीघ्रता से और अधिमानतः प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर निर्णय लें—किंतु बिना किसी अनावश्यक स्थगन के, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

30 जनवरी, 2026/सकलैन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"